

## तालाब आवंटन/नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2006 में निहित प्राविधानों के अधीन 10 वर्षीय मत्स्यपालन तालाब पट्टा आवंटन/नीलामी शिविर का आयोजन सदर तहसील मुख्यालय पर स्थित सभागार में निर्धारित तिथि में किया जायेगा। लेने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना निवास व जाति प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो, के साथ अपना आवेदन शिविर में पट्टा आवंटन/नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शासनादेश में निहित पात्रता एवं वरियता के आधार पर नीलामी की कार्यवाही होगी। नीलामी का समय- पूर्वान्ह 10.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रार्थना पत्र लिये जायेंगे तथा अपरान्ह 2.00 बजे के बाद से कार्य समाप्ति तक नीलामी की कार्यवाही होगी। न्यूनतम नीलामी धनराशि 0.200 हे० से 2.000 हे० तक कम- 5000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर। 2.000 हे० व उससे अधिक- 10000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर।

नीलामी/आवंटन क्र०सं० 1 से 42 तक दिनांक 22.02.2021 को

जनपद जौनपुर तहसील सदर का मत्स्य पालन पट्टे हेतु निर्धारित शिविर में नीलाम किये जाने वाले तालबों का विवरण।

क्र० सं०	वि०ख०/ग्रा० का नाम	तालाब/पोखरे/मीनाशय एवं जल प्रणालियों का विवरण		आरक्षित बोली की धनराशि (प्रति हे०) रू० में।	बोली बालने के लिये जमानत धनराशि	नीलामी तिथि/स्थान
		आ० नं०	रकबा (हे० में)			
1	2	3	4	5	6	7
1	धर्मापुर/कबीरुद्दीनपुर	1287	1.109	राजस्व संहिता नियमावली 2016 में निर्धारित दर रू० 5000.00 प्रति हे०	आरक्षित बोली के धनराशि का दस प्रतिशत	तहसील सदर सभागार
2	धर्मापुर/कबीरुद्दीनपुर	161	0.951	"	"	"
3	सिरकोनी/राजेपुर कजगांव	329ख	0.506	"	"	"
4	सिरकोनी/राजेपुर कजगांव	614	0.557	"	"	"
5	धर्मापुर/सोनारी	41क	0.765	"	"	"
6	सिकरारा/टिकरीकलां	68ख	1.906	"	"	"
7	सिकरारा/टिकरीकलां	243	0.494	"	"	"
8	धर्मापुर/करमदासपुर	145	0.324	"	"	"
9	धर्मापुर/करमदासपुर	169	0.413	"	"	"
10	धर्मापुर/चोरसण्ड	1525	0.413	"	"	"
11	धर्मापुर/कितापुर	919	0.356	"	"	"
12	बक्शा/खमपुर	226	0.543	"	"	"
13	बक्शा/दरियावगंज	1532	0.332	"	"	"
14	बक्शा/पूरातेजी	234	0.575	"	"	"
15	बक्शा/कोटवा	173	0.644	"	"	"
16	बक्शा/भुतहां	174	0.825	"	"	"
17	बक्शा/महिमापुखुर्द	390	0.315	"	"	"
18	सिकरारा/देउपुर	3	0.730	"	"	"
19	सिकरारा/देउपुर	351	0.545	"	"	"
20	सिकरारा/लखेसर	516	1.113	"	"	"
21	सिकरारा/अलीशाहपुर	683स	0.809	"	"	"
22	सिकरारा/रंजीतपुर	1040	0.841	"	"	"
23	बक्शा/मखदूमपुर	910	0.322	"	"	"
24	सिरकोनी/परियावां	2516	0.486	"	"	"
25	करन्जाकलां/जासोपुर	44	0.575	"	"	"
26	धर्मापुर/पिलखिनी	79	1.408	"	"	"
27	धर्मापुर/पिलखिनी	188	1.631	"	"	"
28	करन्जाकलां/भकुसा	37	0.530	"	"	"
29	करन्जाकलां/सुल्तानपुरगौर	163	0.550	"	"	"
30	करन्जाकलां/सुल्तानपुरगौर	267ग	0.368	"	"	"
31	करन्जाकलां/सुल्तानपुरगौर	386ख	0.260	"	"	"
32	करन्जाकलां/पतहना	717	1.100	"	"	"
33	करन्जाकलां/पतहना	839	1.880	"	"	"
34	करन्जाकलां/लोहता	41	0.335	"	"	"
35	करन्जाकलां/छुन्छा	957	0.417	"	"	"
36	करन्जाकलां/छुन्छा	1086ख	0.959	"	"	"
37	धर्मापुर/मनिहागोविन्दपुर	49ख	1.538	"	"	"
38	करन्जाकलां/समोधीपुर	432ख	0.633	"	"	"
39	सिकरारा/पूराबधैला	143	0.660	"	"	"
40	बक्शा/सुल्तानपुर	1198	0.332	"	"	"
41	धर्मापुर/लैतरी	351	0.545	"	"	"
42	धर्मापुर/कबीरुद्दीनपुर	1287	1.109	"	"	"

नोट:- 1- 2.000 हे० व उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का पट्टा केवल मत्स्य विभाग उ० प्र० लखनऊ द्वारा पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को ही दिया जायेगा।

2-आवंटन से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस में तहसील सदर, जौनपुर के तहसीलदार कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।